



दिशानिदेश एवं अनुदेश
चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003
चाय नीलामी के लिए नया ब्रोकर अनुज्ञापन

आवेदक को बोर्ड के ऑनलाइन ईजीआईसीसी पोर्टल अर्थात <http://egiccs.teaboard.gov.in/> के माध्यम से अनुज्ञापन प्राधिकरण को अनुज्ञापन के लिए आवेदन करना होगा।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन प्रस्तुत करने से पहले सभी अपेक्षित दस्तावेजों/सूचनाओं सहित दिशा-निदेशों/अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

नीचे उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज कंपनी की मुहर सहित स्वयं प्रमाणित होना चाहिए:

1. आवेदन पत्र 'जी' विधिवत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित, दिनांक और कंपनी की मुहर सहित।
2. आवेदक को कंपनी अधिनियम के तहत भारत में कानूनी रूप से पंजीकृत कंपनी होना चाहिए और उसे निदेशकों में से किसी एक द्वारा विधिवत प्रमाणित एसोसिएशन के ज्ञापन और लेखों तथा निगमन प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
साझेदारी फर्म के लिए - साझेदारी का न्यायालय/नोटरी द्वारा प्रमाणित विलेख, कम से कम दो साझेदारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित।
स्वामित्व संबंधी व्यवसाय के लिए - एकल स्वामित्व के लिए कम से कम 100 रुपये मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत घोषणा, साथ ही नाम और आवासीय पता।
3. कंपनी द्वारा यह वचन दिया जाना चाहिए कि वे नीलामी केन्द्रों तथा टी बोर्ड के मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक चाय नीलामी में ब्रोकरों के सभी मानदंडों का पालन करेंगे।
4. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
5. आवेदक कंपनी या उसके निदेशकों को चाय व्यापार, ब्रोकिंग व्यवसाय, मूल्यांकन, नीलामी या संबंधित क्षेत्रों में पूर्व अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में विवरण कंपनी के पत्रशीर्ष में सहायक दस्तावेजों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, जो निदेशकों या कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सील किए गए हों।
6. चाय ब्रोकिंग व्यवसाय को संभालने के लिए वित्तीय स्थिरता का प्रमाण या पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, जहाँ भी लागू हो।
7. निदेशकों/भागीदारों/स्वामियों के पास नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं का अनुभूत ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और धोखाधड़ी या अनैतिक गतिविधियों में किसी भी पिछली संलिप्तता से मुक्त होना चाहिए।

8. प्रत्येक स्थान के लिए जहां अनुज्ञापन मांगा गया है, आवेदक को भौतिक कार्यालय का विवरण प्रदान करना चाहिए और कार्यालय स्थान चाय ब्रोकिंग व्यवसाय को संभालने के लिए आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए।
9. कंपनी को चाय का सटीक स्वाद और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने व्यवसाय के आकार के अनुपात में योग्य और अनुभवी चाय टेस्टर्स और निरीक्षकों को नियुक्त करना होगा।
10. कंपनी के निदेशकों, साझेदारों या स्वामी को लिखित वचन देना होगा कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाय की खरीद में शामिल नहीं होंगे और उनका कोई भी हित नीलामी आयोजक के क्रेता सदस्यों के हितों के साथ टकराव वाला नहीं होगा।
11. आवेदकों को अपने उत्पादक-ग्राहकों से पुष्टि पत्र प्रदान करना होगा, जो पहले तीन वर्षों के लिए पर्याप्त व्यवसाय आवंटन की गारंटी देता है। यह आवेदक की व्यवहार्यता और बाजार में निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करता है।